ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत रायपुर में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती ममता देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राम मूर्ति शर्मा	01.04.2022 से 30.05.2022
2.	श्री शिव कुमार	31.05.2022 से 21.07.2022
3.	श्री गुर प्रकाश	22.07.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (र लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	26.92
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.03
3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.06
4)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	1.62
5)	8.2	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.79
6)	9	व्यय के मुल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.38
7)	10	अग्रिम राशि समायोजन हेतु शेष	6.42

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27.06.2024 से 03.07.2024 तक ग्राम पंचायत रायपुर के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	03/2023
2023-24	12/2023	06/2023

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹4800** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 575/2024 दिनांक 03/07/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित दौलतपुर चौक के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 320995 दिनांक 16/07/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 558/2024 दिनांक 27/06/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पांच रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, 15वां वित्तायोग (Online), स्वच्छ भारत मिशन (Online), स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2022-23	1953513	5135874.8	7089387.8	5082726	2006661.8
2	2023-24	2006661.8	7047315	9053976.8	6362455	2691521.8

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत रायपुर के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.24 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹6230** था :-

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	2691521.80
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**2696884.80**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)	867.00
4)	**योग (2+3)**	**2697751.80**
5)	**अन्तर (4-1)**	**6230.00**

(ग) अंतर के कारण :- दिनांक 31.03.24 को ₹6230/- ब्याज का क्रेडिट दिया गया, जिसे दिनांक 31/03/24 तक 15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही के आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया। अतः उक्त राशि का अपेक्षित लेखांकन करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	KCCB Daulatpur (own & GIA)	20014009497	1769006.80
	HDFC (15th FC) Gagret	50100317511825	925401.00

	Canera Bank Daultpur (SBM)	110138441579	2477.00
		योग	**2696884.8**
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)**	867.00
		योग (1+2)	**2697751.80**

(ङ) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 558/2024 दिनांक 27/06/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPR-2024-25-26 दिनांक 03/07/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹26.92 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार

व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 558/2024 दिनांक 27/06/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹2691521.80** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 558/2024 दिनांक 27/06/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPR-2024-25-26 दिनांक 03/07/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेदार होगा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 558/2024 दिनांक 27/06/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPR-2024-25-26 दिनांक 03/07/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता । अत: अनुदान के आदेश /

स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.03 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 558/2024 दिनांक 27/06/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPR-2024-25-26 दिनांक 03/07/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹2950 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	29600	65000	94600	77900	16700
2023-24	16700	65000	81700	78750	2950

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.06 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्र परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि **₹5600** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)**
1	2022-23	2800
2	2023-24	2800
	योग	**5600**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 568/2024 दिनांक 01/07/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPR-2024-25-27/1 दिनांक 03/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.62 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **सलंग्र परिशिष्ट "घ"** अनुसार **₹161894** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था,

जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 571/2024 दिनांक 01/07/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPR-2024-25-27/1 दिनांक 03/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए । अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

8.2 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.79 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा |

चयनित माह 03/2023 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **सलंग्न परिशिष्ट "ड."** अनुसार **₹79007.39** का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 569/2024 दिनांक 01/07/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPR-2024-25-27/1 दिनांक 03/07/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: **₹79007.39** की रॉयल्टी की कटौती न करके किये गये अनियमित भुगतान से सम्बन्धित मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए व तदानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining

and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

9 ₹0.38 लाख के व्यय से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2023 व 06/2023 में सलंग्न **परिशिष्ट "च"** में वर्णित कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत **₹38298** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 572/2024 दिनांक 01/07/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPR-2024-25-27/1 दिनांक 03/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

10 अग्रिम राशि ₹6.42 लाख समायोजन हेतू शेष :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 558/2024 दिनांक 27/06/2024 के क्रम संख्या 10 की अनुपालना में पत्र संख्या GPR-2024-25-26 दिनांक 03/07/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन गगरेट को सीमेंट के क्रय हेतू **निम्नानुसार ₹642110** का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन दिनांक 31.03.24 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ | अत: हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन गगरेट से उक्त असमायोजित राशि को समायोजित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता जिसे अग्रिम जारी किया गया	सामान का विवरण	अग्रिम राशि (₹)	दिनांक 31/03/24 तक समायोजित राशि (₹)	दिनांक 31/03/24 तक समायोजन हेतु शेष राशि (₹)
1	manrega	193814 01/06/23	HP Civil Supply Gagret	Cement	183460	00	183460
2	manrega	193816 01/06/23	HP Civil Supply Gagret	Cement	91730	00	91730
3	manrega	193813 01/06/23	HP Civil Supply Gagret	Cement	183460	00	183460
4	manrega	193815 01/06/23	HP Civil Supply Gagret	Cement	183460	00	183460
						योग	**642110**

11 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 559/2024 दिनांक 27/06/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था । प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GPR-2024-25-27 दिनांक 03/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है । यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 558/2024 दिनांक 27/06/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GPR-2024-25-26 दिनांक 03/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

14 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है।

13 SEP 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का0/प्रति0

4534 – 4538

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)107/2024—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

13 SEP 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का0/प्रति0

परिशिष्ट "क"　　　　पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत ओयल, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1953513	5135874.8	7089387.8	5082726	2006661.8
2	2023-24	2006661.8	7047315	9053976.8	6362455	2691521.8

सचिव

ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	870485	1480988	2351473	1597062.2	754410.8
2	2023-24	754410.8	2562232	3316642.8	1546769	1769873.8

स्वच्छ भारत मिशन (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
2	2023-24	0	120736	120736	118259	2477

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1083028	1440175	2523203	1270952	1252251
2	2023-24	1252251	704015	1956266	1037095	919171

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	2214711.8	2214711.8	2214711.8	0
2	2023-24	0	3304878	3304878	3304878	0

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
2	2023-24	0	355454	355454	355454	0

सचिव
ग्राम पंचायत रायपुर, डा. मरवाड़ी
विकास खण्ड गगरेट (ऊना) हि.प्र.

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	2691521.80
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष	**2696884.8**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि	867.00
4)	**योग (2+3)**	**2697751.80**
5)	**अन्तर (4-1)**	**6230.00**

अंतर के कारण :- दिनांक 31.03.24 को रूपये 6230/- ब्याज का क्रेडिट दिया गया, जिसे दिनांक 31/03/24 तक 15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही के आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया।

सचिव
ग्राम पंचायत रायपुर, डा. [illegible]
विकास खण्ड गगरेट (ऊना) हि.प्र.

परिशिष्ट क-1

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Daulatpur (own & GIA)	20014009497	1769006.80
	HDFC (15th FC) Gagret	50100317511825	925401.00
	Canera Bank Daultpur (SBM)	110138441579	2477.00
		योग	**2696884.8**
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्रोत व अनुदान)**	867.00
		योग (1+2)	**2697751.80**

सचिव
ग्राम पंचायत रायपुर, डा. मरवाड़ी
विकास खण्ड गगरेट (ऊना) हि.प्र.

परिशिष्ट ख   पैरा संख्या 7.1 क में संदर्भित

ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	29600	65000	94600	77900	16700
2023-24	16700	65000	81700	78750	2950

सचिव
ग्राम पंचायत रायपुर, डा. [illegible]
विकास खण्ड गगरेट (ऊना) हि.प्र.

परिशिष्ट 'ग'   पैरा संख्या 7.2 में सन्दर्भित

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि का विवरण

क्रम सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	सुमित राणा पुत्र मदन लाल	03.05.2022	23.05.2022	154745	200	200	0
2	अरविन्द डोगरा पुत्र संसार चन्द	26.05.2022	13.06.2022	154746	200	200	0
3	अजय कुमार राणा पुत्र जरनैल सिंह	05.07.2022	15.07.2022	154747	200	200	0
4	रमन राना पुत्र मनोहर लाल	04.08.2022	24.08.2022	154751	200	200	0
5	राहुल रतन पुत्र शिव कुमार	26.09.2022	11.10.2022	0279769	200	200	0
6	गौरव पुत्र तरसेम लाल	27.09.2022	14.10.2022	0279770	200	200	0
7	सुरेश कुमार पुत्र मस्त राम राना	14.12.2022	24.12.2022	0279771	200	200	0
8	राबिन राना पुत्र सुनील कुमार	08.12.2022	04.01.2023	0279772	200	200	0
9	सत कुमार पुत्र ब्रहम दास	06.12.2022	04.01.2023	0279773	200	200	0
10	मनीष कुमार पुत्र केवल कुमार	09.02.2023	15.02.2023	0279774	200	200	0
11	सागर पुत्र वास देव	15.02.2023	01.03.2023	0279775	200	200	0
12	विशाल कुमार पुत्र तरसेम लाल	15.02.2023	06.03.2023	0279776	200	200	0
13	राकेश कुमार पुत्र भगत राम	06.02.2023	29.03.2023	0279777	400	400	0
				योग	2800	2800	0

c/f

सचिव

ग्राम पंचायत रायपुर, ग्रा. नरवाड़ी

विकास खण्ड काँगड़ा (ऊना) हि.प्र.

B/F

दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि का विवरण

कम सं0	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	बलजीत सिंह पुत्र रमेश चन्द	22.02.2023	01.04.2023	0279778	400	400	0
2	गौरव सिंह राणा पुत्र हरदीप सिंह	02.05.2023	23.05.2023	0279779	200	200	0
3	महबूब अली पुत्र मुराद मोहम्मद	07.05.2023	29.05.2023	0279780	200	200	0
4	गौरव राणा पुत्र कशमीर सिंह	10.05.2023	04.06.2023	0279781	200	200	0
5	शुभम कुमार पुत्र विजय कुमार	03.06.2023	15.07.2023	0279782	400	400	0
6	अंकुश राना पुत्र विजय सिंह	27.06.2023	18.07.2023	0279783	200	200	0
7	रोहित कुमार पुत्र नरेश कुमार	24.09.2023	07.11.2023	0279784	400	400	0
8	शुभम शर्मा पुत्र सुभाष चन्द	26.10.2023	16.11.2023	0279785	200	200	0
10	साहिल कुमार पुत्र मेहर चन्द	08.12.2023	08.01.2024	0279786	400	400	0
11	रोहित सिंह राना पुत्र नरेश कुमार	21.01.2024	08.02.2024	0279787	200	200	0
				योग	2800	2800	0

सचिव
ग्राम पंचायत रायपुर, डा. मरवाड़ी
विकास खण्ड गगरेट (ऊना) हि.प्र.

परिशिष्ट 'ध'   पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना क्रय करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	माह	वाउचर संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/2023	1623 17.03.23	Heray Krishna Trader Daultpur	Sanitary material	20995
2	मनरेगा	06/2023	94 22.01.2023	तरसेम लाल सपुत्र श्री भूरी सिंह गांव रायपुर	मिट्टी भर्ती	45900
3	मनरेगा	06/2023	95 22.01.2023	तरसेम लाल सपुत्र श्री भूरी सिंह गांव रायपुर	मिट्टी भर्ती	45900
4	मनरेगा	06/2023	96 22.01.2023	तरसेम लाल सपुत्र श्री भूरी सिंह गांव रायपुर	मिट्टी भर्ती	39099
5	मनरेगा	06/2023	31 28.02.2023	तरसेम लाल सपुत्र श्री भूरी सिंह गांव रायपुर	मिट्टी भर्ती	10000
					योग	**161894/-**

सचिव
ग्राम पंचायत रायपुर, डा. मरवाड़ी
विकास खण्ड गगरेट (ऊना) हि.प्र.

परिशिष्ट ह | पैरा संख्या 12 में संदर्भित

2022-23

ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खंड गगरेट जिला ऊना

क्रम संख्या	मद का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा (टनों में)	दर (प्रति टन)	देय रॉयलटी
1	15thFc	निर्माण रास्ता लिंक रोड से रानेयां बार्ड नं0 03	5739 दिनांक 16.03.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	1.41	1.52	2.1432	80	171.456
2	15thFc	निर्माण रास्ता लिंक रोड से रानेयां बार्ड नं0 03	5738 दिनांक 16.03.2023	हिम स्टोन कैशर	रेता	2.83	1.62	4.5846	80	366.768
3	15thFc	निर्माण नाली/सोकपिट बार्ड नं0 01	5768 दिनांक 29.03.2023	हिम स्टोन कैशर	रेता	14.15	1.62	22.923	80	1833.84
4	15thFc	निर्माण नाली/सोकपिट बार्ड नं0 01	5769 दिनांक 29.03.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	7.78	1.52	11.8256	80	946.048
5	15thFc	निर्माण नाली/सोकपिट बार्ड नं0 01	5771 दिनांक 29.03.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	14.15	1.52	21.508	80	1720.64
6	15thFc	निर्माण रास्ता लिंक रोड से कुलदीप कुमार के घर तक	5799 दिनांक 29.03.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	14.15	1.52	21.508	80	1720.64
7	15thFc	निर्माण रास्ता लिंक रोड से कुलदीप कुमार के घर तक	5800 दिनांक 29.03.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	14.15	1.52	21.508	80	1720.64

सचिव
ग्राम पंचायत रायपुर, डा. भरवाड़ी
विकास खण्ड गगरेट (ऊना) हि.प्र.

8	15thFc	निर्माण रास्ता लिंक रोड से कुलदीप कुमार के घर तक	5793 दिनांक 29.03.2023	हिम स्टोन कैशर	रेता	14.15	1.62	22.923	80	1833.84
9	15thFc	निर्माण रास्ता लिंक रोड से कुलदीप कुमार के घर तक	5794 दिनांक 29.03.2023	हिम स्टोन कैशर	रेता	14.15	1.62	22.923	80	1833.84
10	15thFc	निर्माण रास्ता लिंक रोड से कुलदीप कुमार के घर तक	5834 दिनांक 29.03.2023	हिम स्टोन कैशर	रेत	7.075	1.62	11.4615	80	916.92
11	15thFc	निर्माण रास्ता लिंक रोड से कुलदीप कुमार के घर तक	5807 दिनांक 29.03.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	14.15	1.52	21.508	80	1720.64
12	15thFc	निर्माण रास्ता लिंक रोड से कुलदीप कुमार के घर तक	5835 दिनांक 29.03.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	11.32	1.52	17.2064	80	1376.512
13	15thFc	निर्माण रास्ता लिंक रोड से कुलदीप कुमार के घर तक	5806 दिनांक 29.03.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	14.15	1.52	21.508	80	1720.64
14	15thFc	निर्माण नाली/सोकपिट बार्ड नं0 03	5838 दिनांक 30.03.2023	हिम स्टोन कैशर	रेता	3.53	1.62	5.7186	80	457.488
15	15thFc	निर्माण नाली/सोकपिट बार्ड नं0 03	5838 दिनांक 30.03.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	7.075	1.52	10.754	80	860.32
16	VKVNY	निर्माण रास्ता रायपुरियां बार्ड नं0 1	4923 दिनांक 18.03.2023	हिम स्टोन कैशर	रेत	16.98	1.62	27.5076	80	2200.608

सचिव
ग्राम पंचायत रायपुर, डा. मरवाड़ी
विकास खण्ड गगरेट (ऊना) हि.प्र.

17	VKVNY	निर्माण रास्ता रायपुरियां बार्ड नं0 1	4924 दिनांक 18.03.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	18.39	1.52	27.9528	80	2236.224
18	VKVNY	निर्माण रास्ता रायपुरियां बार्ड नं0 1	4925 दिनांक 18.03.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	12.73	1.52	19.3496	80	1547.968
19	14Th FC	निर्माण नाला सूरम सिंह के घर से ईश्वर सिंह के घर तक	5839 दिनांक 31.03.2023	हिम स्टोन कैशर	रेत	7.075	1.62	11.4615	80	916.92
20	14Th FC	निर्माण नाला सूरम सिंह के घर से ईश्वर सिंह के घर तक	5839 दिनांक 31.03.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	2.83	1.52	4.3016	80	344.128
21	14Th FC	निर्माण नाला सूरम सिंह के घर से ईश्वर सिंह के घर तक	5839 दिनांक 31.03.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	2.83	1.52	4.3016	80	344.128
22	14Th FC	निर्माण नाला लिंक रोड से कर्मदीन के घर तक	5840 दिनांक 31.03.2023	हिम स्टोन कैशर	रेत	7.075	1.62	11.4615	80	916.92
23	14Th FC	निर्माण नाला लिंक रोड से कर्मदीन के घर तक	5840 दिनांक 31.03.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	2.83	1.52	4.3016	80	344.128
24	14Th FC	निर्माण नाला लिंक रोड से कर्मदीन के घर तक	5840 दिनांक 31.03.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	2.83	1.52	4.3016	80	344.128
							योग	354.9423	80	28395.38
									पेनल्टी 25%	7098.846
									कुल योग (A)	35494.23

-25-

सचिव
ग्राम पंचायत रायपुर, डा. मरवाड़ी
विकास खण्ड मण्डी (सदर) हि.प्र.

2023-24

ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खंड गगरेट जिला ऊना

क्रम संख्या	मद का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा (टनों में)	दर (प्रति टन)	देय रॉयलटी
1	VKVNY	निर्माण रास्ता लिंक रोड से रानेयां बार्ड नं0 03	5737 दिनांक 13.06.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	19.81	1.52	30.1112	80	2408.896
2	VKVNY	निर्माण रास्ता लिंक रोड से रानेयां बार्ड नं0 03	5736 दिनांक 13.06.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
3	VKVNY	निर्माण रास्ता लिंक रोड से रानेयां बार्ड नं0 03	5735 दिनांक 13.06.2023	हिम स्टोन कैशर	रेत	14.15	1.62	22.923	80	1833.84
4	VKVNY	निर्माण सामुदायिक भवन बार्ड नं0 05	5785 दिनांक 13.06.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
5	VKVNY	निर्माण सामुदायिक भवन बार्ड नं0 05	5784 दिनांक 13.06.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	9.905	1.52	15.0556	80	1204.448
6	VKVNY	निर्माण सामुदायिक भवन बार्ड नं0 05	5783 दिनांक 13.06.2023	हिम स्टोन कैशर	रेत	12.735	1.62	20.6307	80	1650.456
7	15Th FC	निर्माण रास्ता गणेश दत्त पुत्र रोशन लाल बलगियां	5759 दिनांक 13.06.2023	हिम स्टोन कैशर	रेत	2.83	1.62	4.5846	80	366.768
8	15Th FC	निर्माण रास्ता गणेश दत्त पुत्र रोशन लाल बलगियां	5760 दिनांक 13.06.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	1.41	1.52	2.1432	80	171.456
9	15Th FC	निर्माण रास्ता गणेश दत्त पुत्र रोशन लाल बलगियां	5760 दिनांक 13.06.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
10	15Th FC	निर्माण नाली सोकपिट बार्ड नं0 7	6071 दिनांक 17.06.2023	हिम स्टोन कैशर	रेत	11.32	1.62	18.3384	80	1467.072
11	15Th FC	निर्माण नाली सोकपिट बार्ड नं0 7	6072 दिनांक 17.06.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	14.15	1.52	21.508	80	1720.64
12	15Th FC	निर्माण नाली सोकपिट बार्ड नं0 7	6073 दिनांक 17.06.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	7.075	1.52	10.754	80	860.32
13	MGNREGA	सौंदर्यकरण तालाब नापेयां बार्ड नं0 03	5026 दिनांक 23.06.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	14.15	1.52	21.508	80	1720.64
14	MGNREGA	सौंदर्यकरण तालाब नापेयां बार्ड नं0 03	5027 दिनांक 23.06.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	14.15	1.52	21.508	80	1720.64

214.8743

-25-

सचिव
ग्राम पंचायत रायपुर, डा. बरनोह
विकास खण्ड गगरेट (ऊना) हि.प्र.

15	MGNREGA	सौंदर्यकरण तालाब नापेयां बार्ड नं0 03	5028 दिनांक 23.06.2023	हिम स्टोन कैशर	रेत	11.32	1.62	18.3384	80	1467.072
16	MGNREGA	सौंदर्यकरण तालाब नापेयां बार्ड नं0 03	5029 दिनांक 23.06.2023	हिम स्टोन कैशर	रेत	11.32	1.62	18.3384	80	1467.072
17	MGNREGA	सौंदर्यकरण तालाब कुम्हारां बार्ड नं0 07	6047 दिनांक 23.06.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	7.075	1.52	10.754	80	860.32
18	MGNREGA	सौंदर्यकरण तालाब कुम्हारां बार्ड नं0 07	6046 दिनांक 23.06.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	16.98	1.52	25.8096	80	2064.768
19	MGNREGA	सौंदर्यकरण तालाब कुम्हारां बार्ड नं0 07	6045 दिनांक 23.06.2023	हिम स्टोन कैशर	रेत	16.98	1.62	27.5076	80	2200.608
20	MGNREGA	निर्माण रास्ता हरदीप सिंह से शमशान घाट तक बार्ड नं0 1	5030 दिनांक 27.06.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	4.95	1.52	7.524	80	601.92
21	MGNREGA	निर्माण रास्ता हरदीप सिंह से शमशान घाट तक बार्ड नं0 1	5031 दिनांक 27.06.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	4.95	1.52	7.524	80	601.92
22	MGNREGA	निर्माण रास्ता हरदीप सिंह से शमशान घाट तक बार्ड नं0 1	5032 दिनांक 27.06.2023	हिम स्टोन कैशर	रेत	11.32	1.62	18.3384	80	1467.072
23	MGNREGA	निर्माण रास्ता हरदीप सिंह से शमशान घाट तक बार्ड नं0 1	5033 दिनांक 27.06.2023	हिम स्टोन कैशर	रेत	11.32	1.62	18.3384	80	1467.072
24	MGNREGA	निर्माण रास्ता हरदीप सिंह से शमशान घाट तक बार्ड नं0 1	5521 दिनांक 27.06.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	12.735	1.52	19.3572	80	1548.576
25	MGNREGA	निर्माण रास्ता हरदीप सिंह से शमशान घाट तक बार्ड नं0 1	5548 दिनांक 27.06.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	6.36	1.52	9.6672	80	773.376
26	MGNREGA	निर्माण रास्ता हरदीप सिंह से शमशान घाट तक बार्ड नं0 1	5549 दिनांक 27.06.2023	हिम स्टोन कैशर	रेत	4.245	1.62	6.8769	80	550.152
27	MGNREGA	निर्माण रास्ता हरदीप सिंह से शमशान घाट तक बार्ड नं0 1	5546 दिनांक 27.06.2023	हिम स्टोन कैशर	बजरी	9.19	1.52	13.9688	80	1117.504
28	SBM (PFMS)	C/O CSC Near pond napeyan	6029 27.05.202	हिम स्टोन कैशर	रेत	7.08	1.62	11.4696	80	917.568
29	SBM (PFMS)	C/O CSC Near pond napeyan	6030 27.05.202	हिम स्टोन कैशर	बजरी	4.24	1.52	6.4448	80	515.584
							योग	[illegible]	80	34810.528
								435.1316	25% पेनल्टी	8702.632
		कुल देय रॉयल्टी (A+B) 35494.23+43513.16=79007.39							कुल योग (B)	43513.16

-28-

सचिव
ग्राम पंचायत ...पुर, ख. ...
...

परिशिष्ट 'च' पैरा संख्या १ में संदर्भित

माप पुस्तिकाएं प्रस्तुत न करना

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	माह	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/23	खाता निर्माण नाला सुरम सिंह के घर से इशर के घर तक	5839 30.03.23	Sand, Agg.	8283
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/23	निर्माण नाला लिंक रोड से कर्म दीन के घर तक	5840 30.03.23	Sand, Agg.	8000
3	15^{th} FC	06/23	Repair of path mohalla Ramiya	76676 03.06.23	Cement	22015
					योग	**38298**

सचिव
ग्राम पंचायत रामपुर, डा. [illegible]
विकास खण्ड गगरेट (ऊना) हि.प.